ओपीएफ-ई-पत्रिका

आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर

Ordnance Parachute Factory, Kanpur

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई/A UNIT OF GLIDERS INDIA LTD

नेपियर रोड/NAPIER ROAD,कैन्ट/CANTT, कानपुर/KANPUR-208004

भारत सरकार का उपक्रम/GOVT. OF INDIA ENTERPRISE, रक्षा मंत्रालय/MINISTRY OF DEFENCE

अंक-04 | 01 | फरवरी 2024

महाप्रबंधक महोदय का संदेश

विगत माह की भांति अपनी निरंतरता बनाए रखते हुए ओपीएफ के फरवरी माह हेतु मासिक डिजीटल ओपीएफ-ई-पत्रिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्व है। वैचारिक आदान- प्रदान, व्यापार व्यवहार का आधार भाषा ही है। अर्थात भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा के बिना न तो एक दूसरे को समझा जा सकता है और न पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जा सकता है । हिंदी की इसी व्यापकता और जनमानस में उसकी गहरी पैठ को देखते हुए ही जर्मन के विख्यात हिंदी विद्वान लोठार लुत्से ने कहा था कि ' हिंदी सीखे बिना भारत के दिल तक नहीं पहुँचा जा सकता' यह टिप्पणी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि हिंदी भारत एवं भारतीय संस्कृति की पहचान है।

एम.सी.बालासुब्रमणियम,
महाप्रबंधक/ओपीएफ

ओपीए-ई-पत्रिका का यह अंक निर्माणी में फरवरी माह में हुए विविध कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, विशिष्ट व्यक्ति के आगमन, भारत-केन्या के डिफेंस एक्स्पो से संबंधित कार्यक्रम, जलसंरक्षण पर कु. रक्षा देवी के लेख *बिन पानी सब सून*, श्रीमती शैल श्रीवास्तव की कविता *बेटी* श्रीमती मनीषा यादव की कविता *पेड़ की कहानी पेड़ की जुबानी* एवं श्री अश्वनी ओझा के लेख *ओपीएफः इतिहास के आइने में...* से परिपूर्ण है। राजभाषा अनुभाग द्वारा विशिष्ट लेख राजभाषा चितन *हिंदी: वर्तमान दशा एवं दिशा* इसे और भी उत्कृष्टता प्रदान करती है। मैं डिजीटल ओफीएफ-ई-पत्रिका के प्रकाशनार्थ संपादक मंडल एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूँ।

विशिष्ट व्यक्ति का आगमन

दिनांक 10.02.2024 को एमआईएल कारपोरेट मुख्यालय, पुणे के निदेशक/वित्त श्री प्रकाश अग्रवाल का निर्माणी आगमन हुआ। निर्माणी आगपन पर निर्माणी के महाप्रबंधक श्री एम.सी.बालासुब्रमणियम ने श्री प्रकाश अग्रवाल का स्वागत किया। श्री प्रकाश अग्रवाल ने निर्माणी के विविध उत्पादनशालाओं में उत्पादित हो रहे उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं महाप्रबंधक महोदय के साथ निर्माणी प्रदर्शनी कक्ष का निरीक्षण किया।

कुरीति के अधीन होता कायरता है, उसका विरोध करना पुरूषार्थ है .. महात्मा गांधी

***

भारत-केन्या रक्षा प्रदर्शनी

भारत-केन्या रक्षा प्रदर्शनी के विविध दृश्य

लेख

बिन पानी सब सून.....

***

रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून

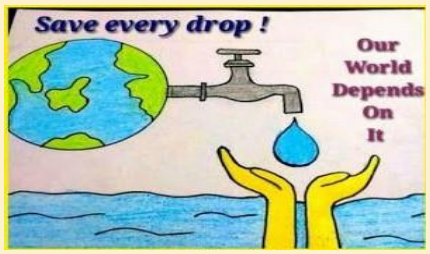

पानी को ऐसे व्यर्थ गवाओगे तो आने वाले कल को न देख पाओगे। यही सत्य है कि जल संरक्षण हम सबके लिए एक स्थाई भविष्य की कुंजी है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना व्यर्थ है। पानी की कमी से उत्पन्न समस्याओं को नीचे दिए गए समीकरण द्वारा समझा जा सकता है:

पानी (WATER) + भोजन(FOOD) = जीवन (LIFE)

पानी का दोहन(EXPLOITATION OF WATER) = भोजन संकट(CRISIS OF FOOD)

भोजन संकट(CRISIS OF FOOD)= भूखमरी(STARVATION)

भूखमरी(STARVATION)+ पानी संकट (CRISIS OF WATER= जीवन का अभाव (NO LIFE)

संयुक्त राष्ट्र संघ के ताजा रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2050 तक पूरी दुनिया में पानी का संकट होगा जिसमें भारत सबसे ऊपर रहेगा। विदित हो कि सऊदी अरब जैसे कुछ देश पहले से ही भूगर्भ जल के संकट का समाना कर रहे हैं। अब भारत जैसे अन्य देश भी इसके चपेट में आएंगे। वर्ष 2025 से ही इस संकट का भारत में भी प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बडा कारण है कि भारत विश्व में भूगर्भ जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है। भूगर्भ जल के प्रयोग

निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है...वाल्ट डिजनी

***

में भारत का स्थान अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से अधिक है। इसी से स्पष्ट होता है कि भारत में भूगर्भ जल का उपयोग सोच-समझकर करने की आवश्यकता है। वर्षा जल के संचयन हेतु विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता है। अगर विशेष प्रबंध नहीं किए गए तो जल संकट से खाद्यान्न संकट स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। पानी की कमी की स्थिति में अक्सर कृषि हेतु भूगर्भ जल का उपयोग किया जाता है। सूखे के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में भूगर्भ जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आलम यह है कि भूगर्भ जल खुद खत्म होने के कगार पर है। किसानों को सिचाई के लिए पानी की उपलब्धता पर प्रश्न चिह्न है, जिससे खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर खतरा बना हुआ है।

रक्षा देवी
एलडीसी /एफएंडए

स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

निर्माणी में दिनांक 16.02.2024 को महाप्रबंधक श्री एम.सी.बालासुब्रमणियम की अध्यक्षता में एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीमती (डॉ.) ज्योति त्रिवेदी की देखरेख में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक महोदय के साथ-साथ संयुक्त महाप्रबंधक श्री एस. बैनर्जी, श्री विवेक गुप्ता, श्री के.एस.चरक, श्री राम ज्ञान सिंह एवं श्री के.के. टोप्पों, कार्यप्रबंधक श्री ओमेश सिन्हा, श्री अमरदीप कुमार, श्री वी.आर.रावत एवं श्री प्रियम सिंह एवं सहायक कार्यप्रबंधक श्री प्रवीन चन्द्र भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्रीमती (डॉ.) ज्योति त्रिवेदी ने स्वस्थ जीवन की रूप रेखा प्रस्तुत की।

स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमल के विविध दृश्य

वह नर मृतक के समान है जिसके मन में देशभिमान नहीं...मैथिलीशरण गुप्त

***

कविता

पेड़ की कहानी पेड़ की जुबानी

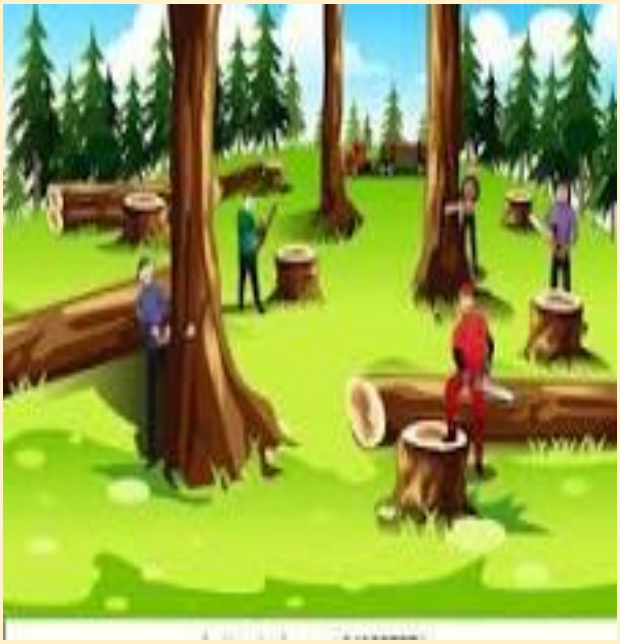

जब मैं छोटा बच्चा था, अपनो के संग आता था।
तोड़ कर मेरी टहनी को, तू खूब हँसा करता था।।
सुनकर तेरी किलकारी को, मैं अपना दर्द मिटा देता था।
तेरे फिर से आने की, मैं दिन रात दुआ करता था।।
धीरे-धीरे बड़ा हुआ, तु दौड़ कर मुझसे लगता था।
तुझे गले लगाने को मैं, अपनी टहनी नीचे करता था।।
तु वक्त सुनहरा मेरा, जब गोदी में बैठा करता था।
चूम कर तेरे चेहरे को, मैं मस्त मस्त-मग्न लहराता था।।
जब गया छोड़कर तू मुझको, मैं तूझे ही सोचा करता था।
देख कर तेरी राहों को, हर रोज मैं रोया करता था।।
बीत गए थे वर्ष कई, जब पास तू फिर से आया था।
देख कुल्हाड़ी हाथ में तेरे, मैं मन ही मन घबराया था।।
जब-जब वार किए तूने, हर बार मैं हँस कर रोया था।
तेरे उस निर्मम चेहरे को, देखकर ही तो मैं सोया था।।
जलकर भी तेरे घर आँगन को, मैंने रौशन किया था।
कर दिया था सब कुछ दान तूझे, न कुछ भी तुझसे मांगा था।
फिर क्यों इतनी बेरहमी से, टूकड़ों में मुझको बांटा था ।।

मनीषा यादव
टेलर/कुशल
पी3 अनुभाग

कविता

बेटी

ईश्वर की वरदान है बेटी,
मां पापा की जान है बेटी।
कोमल है पर कमजोर नहीं,
साहस की तो खान है बेटी।
जाड़े में खिली धूप सी,
गरमी में छाया सी बेटी।
बेटों को यदि मानों कुल दीपक,
दीप शिखा समान है बेटी।

फरवरी माह में पडने वाले महत्वपूर्ण दिवस	
विश्व कैंसर दिवस	04 फरवरी
अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	21 फरवरी
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	28 फरवरी

शैल श्रीवास्तव
टेलर
पी 3 अनुभाग

विश्व के हर काम में यश प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है ... मोर्ली

***

लेख

ओपीएफ: इतिहास के आईने में...

01 अक्टूबर 2021 के पूर्व आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता के अधीनस्थ रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ रक्षा उत्पादन ईकाई था। निर्माणी की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1941 में कानपुर नगर के.ई.एम. हॉल फूलबाग में हुई थी। इसके बाद निर्माणी स्थापना का स्थानांतरण नेपियर रोड, कैंट कानपुर में किया गया। विदित हो कि दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग से सटा हुआ ओपीएफ कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत के सभी मुख्य शहरों को जोड़ने वाली चौधरी चरण सिंह, अमौसी अन्तरराष्ट्रीय एयर पोर्ट ओपीएफ से मात्र 70 किलोमीटर एवं गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय एयर पोर्ट मात्र 08 किलोमीटर की दूरी पर है। ओपीएफ की शुरुआत मैन कैरीइंग पैराशूट की मरम्मत इकाई के रूप में हुई थी और उसके बाद 1962 में सप्लाई ड्रॉप पैराशूट और सैन्य वर्दी का उत्पादन शुरू और स्थापित किया गया। 1970 में कार्मिक पैराशूट यानी पीटीआर-एम और पीटीआर-आर का उत्पादन स्थापित किया गया। 1971 में केएम ब्रिज और इन्फ्लेटेबल नावों के लिए फ्लोट्स का उत्पादन भी स्थापित किया गया था।

विदित हो कि दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से ओपीएफ डीपीएसयू में परिवर्तित हुई है एवं वर्तमान में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट मुख्यालय के अन्तर्गत ओपीएफ एक मात्र अद्वितीय इकाई है। वर्तमान में ओपीएफ में विविध उत्पाद जैसे मैन कैरेइंग पैराशूट के अन्तर्गत पीटीए-एम(PTA-M), पीटीए-आर(PTA-R), पीटीआर-एम(PTR-M) एवं कोम्बैट फ्री फॉल पैराशूट(COMBAT FREE FALL PARACHUTE) , कार्गो पैराशूट के अन्तर्गत सप्लाई ड्रॉप पैराशूट एवं हैवी ड्राप पैराशूट, ब्रेक पैराशूट के अन्तर्गत

मैन कैरेइंग पैराशूट एवं कार्गो पैराशूट के उत्पाद

पीटीए-एम

एचएपी

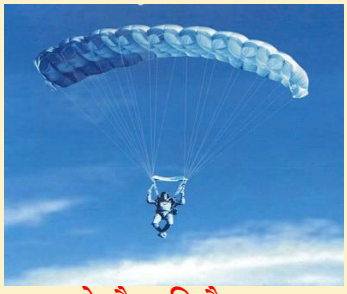
कोम्बैट फ्री पैराशूट

हैवी ड्रॉप पैराशूट

एसयू-30 एयर क्रॉफ्ट के लिए, मिग 21, 23, 29 एयर क्रॉफ्ट के लिए, मिराज 2000 एयर क्रॉफ्ट के लिए एवं जगुवार एयर क्राफ्ट के लिए पैराशूट्स, पायलट पैराशूट के अन्तर्गत किरन एयर क्रॉफ्ट के लिए पॉयलट पैराशूट, पैरासेल एसेम्बली एवं एल्यूमिनेटिंग एम्यूनिशन पैराशूट का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रबराइज्ड उत्पादों के अन्तर्गत इन्फ्लैटेबल फ्लोट एवं बोट का उत्पादन भी किया जाता है जो कि 100 मीटर तक चौड़ी नदियों और नालों को पार करने के लिए मानक

आँधियां और समुद्री लहरें भी सबसे योग्य नाविकों का साथ देती हें.....गिबन

***

लिए मानक हल्के धातु पुल बनाने के लिए एक ले जाने वाली फ्लोट बॉडी है जिसका उद्देश्य रेकी स्टोर्स के साथ 3 पूरी तरह से सशस्त्र लोगों को ले जाना है, का भी उत्पादन ओपीएफ में किया जाता है।

ब्रेक पैराशूट्स, पॉयलट पैराशूट एवं रबराइज्ड उत्पाद

एसयू-30

जगुआर

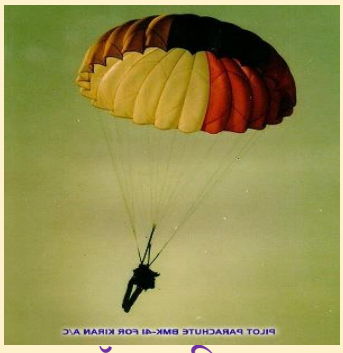

पॉयलट किरन

केएम फ्लोट

निर्माणी के उत्पादन कार्य से विविध प्रकार अत्याधुनिक औद्योगिक सिलाई मशीन जैसे कंप्यूटरीकृत एक निडल, दो निडल एवं चार निडल वाली सिलाई मशीन एवं बॉस्टिंग व जिग जैग सिलाई मशीन भी उपलब्ध है । निर्माणी आइ.एस.ओ. 9001: 2015, 14001:2015. ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 एवं एन.ए.बी.एल. प्रमाणित प्रयोगशाला है। आर्मी, एअरफोर्स, नेवी, अर्ध सैनिक बल व विभिन्न राज्यों के राज्य पुलिस के आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए विविध पैराशूट उत्पादों के साथ-साथ क्रुपमैन ब्रिज के लिए फ्लोट एवं इनफ्लैटेबल बोट का निर्माणी करने वाली ओपीएफ भारत की एकमात्र निर्माणी है एवं ओपीएफ प्रबंधन गुणवत्ता, प्रर्यावरण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी संवैधानिक एवं अन्य नियमाक आवश्यकताओं के लिए प्रतिबद्ध है।

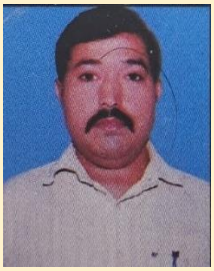

अश्वनी ओझा
प्रवर श्रेणी लिपिक
पीवी अनुभाग

राजभाषा चिंतन

हिंदी: वर्तमान दशा एवं दिशा

भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में सबसे तीखी बहस हिंदी को अधिकारिक भाषा बनाने को लेकर हुई थी। संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर को यह कहना पड़ा था कि **'संविधान सभा में जितनी गहमागहमी हिंदी को अधिकारिक भाषा बनाने को लेकर देखने को मिली, वह अभूतपूर्व था '**। विदित हो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली आठवीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भाषाओं को अधिकारिक भाषा के रूप में रखा गया था। अनुच्छेद 343 में यह भी उल्लिखित था कि इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अर्थात 26 जनवरी 1965 में हिंदी को पूर्णताया अधिकारिक भाषा बन जाना था। परन्तु अनुच्छेद 343(3) के अधिकारों का प्रयोग करके संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 का प्रावधान किया जिसके बाद सरकारी कार्यालयों में द्विभाषिकता की स्थिति बनी।

'भाषा बहता नीर है' अर्थात भाषा स्थिर न होकर गतिशील है।'... कबीर

***

भारती संविधान में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, इसमें कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग *'जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है'* को उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा।
2. अनुच्छेद 343 भारत संघ के अधिकारिक भाषा से संबंधित है। इस लिपि के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी एवं अंको का रूप भारतीय अंको का अन्तरराष्ट्रीय रूप(1,2,3,4,56,6,7,8,9,0) होगा।
3. अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। इसके अनुसार आधिकारिक कार्यों के लिए 'अधिकृत' भाषा का उपयोग किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत है कि उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो अधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है।
4. अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है।
5. अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं प्रदान करता है।
6. अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यह भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करेगा एवं सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा।

भारत की राष्ट्रभाषा क्या है ?

यह सत्य है कि भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत हिंदी भाषा का भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान निर्माण के समय डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया था, लेकिन विरोध के कारण संस्कृत को राष्ट्रभाषा नहीं माना था। गौरतलब है 1949 में भारत की संवैधानिक समिति एक समझौते पर पहुँची, इसे मुंशी आयंगर समझौता कहा जाता है। इसी के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। वर्ष 1965 में जब हिंदी को सभी जगहों पर आवश्यक बना दिया गया था तो तमिलनाडू में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसके बाद काग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया कि संविधान लागू हो जाने के 15 साल बाद भी हिंदी को हर जगह लागू किए जाने पर अगर सभी राज्य राजी नहीं होते तो हिंदी के भारत की एकमात्र ऑफिशियल भाषा नहीं बनया जा सकता। इसके बाद भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 लागू किया। इसे वर्ष 1967 में संशोधित किया गया था , जिसके बाद से ही भारत में द्विभाषिकता की स्थिति उत्पन्न हुई।

'प्रतिभा क्या है, एक औंस बुद्धि और एक टन परिश्रम ।'... एडीसन

***

सेवा निवृत्ति एवं भावभीनी विदाई
(31 जनवरी 2024)

क्र.स.	नाम(सर्वश्री/श्रीमती)	पद/ट्रेड	वै.स./टिसं
1	रीता तिवारी	क. कार्यप्रबंधक	410561
2	बिटान देवी	टेलर/एमसीएम	8360/एल
3	जहीर अहमद	टेलर/एमसीएम	8408/एल
4	विमला देवी	टेलर/उकु I	9084/एल

सेवा निवृत्त होने वाले विशिष्ट अथितियों के साथ
महाप्रबंधक श्री एमसी बालासुब्रमणियम

हिंदी भाषा की वर्तमान दशा

हिंदीषी जनसंख्या में करीब 20 फीसदी लोग हिंदी समझते हैं। इसलिए हिंदी भारत की आम भाषा है। कुछ भाषाविदों का मानना है कि हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंढ,छत्तीसगढ़ को लोगों को हिंजी भाषियों में गिन लिया जाता है।

राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, जो भाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा व्यवहार में लायी जाती है। विभिन्नता में भी एकता भारत की मुख्य विशेषता है। भारत के विभिन्नता का स्वरूप न केवन भौगोलिक है, बल्की भाषायी तथा सांस्कृतिक भी है । एक जनगणना विश्लेषण के अनुसार 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत में लगभग 121 भाषाएं हैं जो 10,000 या अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती है जबकि भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 से 351 तक व्यवस्था की गई है। इस स्मृति को ताजा रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

(राजभाषा अनुभाग)

मुख्य संरक्षक	श्री एम.सी. बालासुब्रमणियम, महाप्रबंधक
संरक्षक	श्री एस बैनर्जी, संयुक्त महाप्रबंधक
सह संरक्षक	श्री कोनन कु. टोप्पो, संयुक्त महप्रबंधक
मुख्य संपादक	श्री रुपेश कुमार, कार्यप्रबंधक
पत्रिका के निदेशक	श्री ओमेश सिन्हा, कार्यप्रबंधक
प्रकाशन प्रबंधक	श्री अमर दीप कुमार, कार्यप्रबंधक
विषय-वस्तु प्रबंधक	श्री प्रियम सिंह, सहायक कार्यप्रबंधक
	श्री के.डी. मिश्रा, क. का.प्रबंधक (एसजी)
	श्री परिवेश गुप्ता, जेटीओ
कोषाध्यक्ष	श्री अमित श्रीवास्तव, क. का.प्रबंधक (एसजी))
कॉलम संपादक	श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, परीक्षक

तकनीकी समीक्षा हेतु प्रकाशन बोर्ड के सदस्य

श्री अभिषेक मिश्रा, टेलर/उकु-I/पी 5	सचिव
श्रीमती वंदना वर्मा, टेलर/उकु I/पी3	सदस्य
श्रीमती संगीता शाह, टेलर/उकु I/पी3	सदस्य
श्री आदित्य कुमार, टेलर/उकु I/पी4	सदस्य
श्री प्रवीन मिश्रा, टेलर/उकु I/पी4	सदस्य
श्री तंजिदर सिंह, टेलर/उकु I/ पी5	सदस्य
श्री आशीष कुमार द्विवेदी, टेलर/उकु I/ पी2	सदस्य
श्री कामिल खान, टेलर/उकु I/ पी6	सदस्य
श्री सुशील गौतम टेलर/उकु I/ पी6	सदस्य
श्री अविनेश कु. दूबे टेलर/उकु I/क्यूसी(एम)	सदस्य
श्री रंजन उपाध्याय, यूडीसी/एचआरडी	सदस्य
कु. रक्षा देवी,एलडीसी/एफएंडए	सदस्य

ओपीएफ-ई-पत्रिका के आगामी अंको के प्रकाशनार्थ रचानाएं
राजभाषा अनुभाग में सादर आमंत्रित हैं।

टीम ओपीएफ द्वारा प्रकाशित प्रतिबंधित वितरण हेतु

असफलता की उत्पत्ति तभी होता है, जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं ..एल्बर्ट हब्बार्ड

***